बारहवीं योजना (2012–2017) के दौरान महाविद्यालयों के लिए महिला छात्रावासों के निर्माण की विशेष योजना संबंधी दिशानिर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह ज़फर मार्ग
नई दिल्ली – 110 002
वेबसाइट : **www.ugc.ac.in**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बारहवीं योजना (2012–2017) के दौरान महाविद्यालयों के लिए महिला छात्रावासों के निर्माण की विशेष योजना संबंधी दिशानिर्देश

1. प्रस्तावना

शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों की बढ़ती हुई गतिशीलता के कारण उन्हें छात्रावास की आवश्यकता होती है और वे इसकी मांग करते हैं। एक आवासीय यूनिट के रूप में छात्रावास मिल–जुलकर रहने की भावना को बढ़ाता है और एक अजनबी नगर में विशेषतः ऐसी महिला विद्यार्थियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें उसके बाद अलग–थलग अथवा छोटे समूहों में भी नहीं रहना पड़ता। महिला छात्रावासों की बड़ी मांग रही है। यह केवल नौकरी करने वाली महिलाओं की संस्थाओं में ही नहीं अपितु देश के कुछ स्थापित और पुराने सह–शिक्षा संस्थानों में भी रही है। उनकी इस मांग को पिछले दशकों में काफी हद तक पुरुष विद्यार्थियों के छात्रावासों से ही पूरा करना पड़ा है। ऐसी स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाने में महिलाओं की गतिशीलता कम हो जाती है। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं और कई मामलों में वे व्यावसायिक कार्यक्रमों और पारंपरिक विषय दोनों में आगे रही हैं। आज जबकि महिलाएं कुल नामांकन की एक–तिहाई भाग होती हैं और देश के कई राज्यों में उनके नामांकन की यह दर तेजी से बढ़ रही है। लेकिन उच्च अध्ययन करने के लिए महिलाओं के छात्रावासों की सुविधा उनके अनुरूप नहीं बढ़ाई गई है।

महिलाओं की स्थिति को बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने, समाज के बड़े भाग के विकास की उपलब्ध संभावनाओं को बढ़ाने और लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए तथा महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए छात्रावास और अन्य आधारभूत सुविधाओं को देने की दृष्टि से आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान महिलाओं के छात्रावासों के निर्माण की विशेष योजना जारी रखने का निर्णय लिया है।

2. उद्देश्य

महिला विद्यार्थियों/अनुसंधानकर्ताओं/अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के लिए आवासीय स्थान उपलब्ध करने के लिए महिलाओं के छात्रावास के निर्माण के लिए सभी पात्र महाविद्यालयों की सहायता करना।

3. पात्रता/लक्ष्य

जिन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अधीन सूची में शामिल किया गया है और उक्त अधिनियम की धारा 12(ख) के अधीन केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है, वे इस योजना के अधीन वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे। प्रत्येक महाविद्यालय के लिए यह आवश्यक होगा कि वह दो बैचों के पास होने या 6 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो, के बाद प्रत्यायन एजेंसी से प्रत्यायन कराएं।

4. सहायता का प्रकार

महाविद्यालयों को इस योजना के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जाने वाली सहायता 100 प्रतिशत आधार पर होगी, परंतु इसमें निम्नलिखित अधिकतम सीमा का पालन किया जाएगाः

महिलाओं का नामांकन (तीन शैक्षिक सत्रों* का अवसर)	**रकम (लाख रुपए में)**	**महानगरों**, जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के संबंध में रकम (लाख रुपए में)**
250 तक	40.00	80.00
251 से 500	60.00	100.00
500 से अधिक	80.00	120.00

* वर्तमान सत्र, जब प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और पिछले दो सत्र एकसमान होते हैं।

** वे नगर जिन्हें भारत सरकार द्वारा महानगर घोषित किया गया है (दिल्ली, मुंबई, बैंगलूरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किए जाने वाले आबंटन से अधिक व्यय को संस्था द्वारा अपने संसाधनों से पूरा करना होगा, जिसके संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय संबंधित संस्था द्वारा स्पष्ट संकेत और आश्वासन दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आबंटन से अधिक बढ़ी हुई किसी लागत की अदायगी नहीं करेगा।

5. सामान्य शर्तें

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित भवन निर्माण संबंधी बारहवीं योजना के दिशानिर्देश लागू होंगे।

2. भवन विकलांगों के अनुकूल होंगे ताकि वे अपनी विकलांगता सहित वहां बिना किसी बाधा के पहुंच सकें।

3. महिलाओं के छात्रावास के निर्माण के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड (**अनुबंध–II**) का उस संस्था द्वारा पालन किया जाएगा जिसे अनुदान दिया जाएगा।

4. यदि महाविद्यालय ने पिछली योजना में महिला छात्रावास के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की हो तो संशोधित योजना के अधीन यह अनुदान पिछली योजना को पूरा करने के बाद ही जारी किया जाएगा।

5. जिन महाविद्यालयों ने पहले ही यह अनुदान प्राप्त किया है, वे भी छात्रावास के निर्माण/विस्तार के लिए पुनः अनुदान के लिए आवेदनपत्र देने के पात्र हैं।

6. इस योजना के लिए आवेदनपत्र देने की प्रक्रिया

इस योजना के अधीन अनुदान की मांग करने वाली प्रत्येक संस्था उस समय **अनुबंध–I** में निर्धारित प्रोफार्मा में योजना और अनुमान सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आवेदनपत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

विशेषज्ञ समिति इन प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और प्रस्ताव के गुण–दोषों तथा महिला छात्रावास की आवश्यकता के औचित्य के आधार पर सहायता की मात्रा के संबंध में निर्णय लेगी। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपना अनुमोदन या अन्यथा के

संबंध में महाविद्यालय को सूचित करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद महाविद्यालय भवन के निर्माण संबंधी दिशानिर्देशों (बारहवीं योजना) में उल्लिखित भवन समिति का गठन करेगा। योजना, अनुमान, कार्य के निष्पादन और निधि आदि के उपयोग का अनुमोदन करना भवन समिति का दायित्व होगा। भवन समिति महिला छात्रावास परियोजना के अनुमोदन के लिए और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भवन निर्माण संबंधी बारहवीं योजना के दिशानिर्देशों को देख सकती है। भवन समिति की बैठकें एक वर्ष में कम से कम तीन बार होंगी।

7. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान जारी करने की प्रक्रिया

(क) अनुमोदित अनुदान का 50 प्रतिशत भवन समिति के प्रस्ताव के प्राप्त होने के बाद जारी किया जाएगा, जिसमें उन्होंने योजना और अनुमानों के अनुमोदन की सूचना दी हो और उसके साथ भवन निर्माण संबंधी बारहवीं योजना के दिशानिर्देशों के खंड 6.7 में उल्लिखित अन्य दस्तावेजों को संलग्न किया हो।

(ख) स्वीकृत अनुदान का 40 प्रतिशत निर्माण की प्रगति और प्रगति रिपोर्ट के संबंध में समिति के वास्तविक सत्यापन की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने पर जारी किया जाएगा। इनमें निर्माण की अवस्था आय और व्यय के लेखापरीक्षित विवरण और पहली किस्त के संबंध में लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र **(अनुबंध III, IV और V)** का उल्लेख किया जाएगा।

(ग) अनुदान का शेष 10 प्रतिशत समापन संबंधी दस्तावेजों के प्राप्त होने पर जारी किया जाएगा। समापन संबंधी दस्तावेजों में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होंगेः

1. संशोधित अनुमान, जिसमें अंतिम लागत दर्शाई गई हो।
2. कुल लागत के संबंध में लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र **(अनुबंध V)**।
3. लेखापरीक्षित आय और व्यय विवरण **(अनुबंध IV)**।
4. लेखापरीक्षित परिसंपत्ति प्रमाणपत्र **(अनुबंध VI)**।
5. समापन प्रमाणपत्र/दस्तावेजों पर प्रधानाचार्य (या प्रभारी अध्यापक या उप प्रधानाचार्य) और योग्यताप्राप्त इंजीनियर और/या पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा हस्ताार किए जाने चाहिए **(अनुबंध VII)**।

6. समापन संबंधी लागत का प्रोफार्मा **(अनुबंध VIII)**।

अनुबंध–I

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

महिला छात्रावास के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का प्रोफार्मा

1 क. महाविद्यालय का नाम और पूरा पता

ख (i)उस जिले का नाम जहां महाविद्यालय स्थित है

(ii) उस नगर/शहर/गांव का नाम, जहां महाविद्यालय स्थित है

(iii) क्या महाविद्यालय ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में स्थित है?

ग.(i) क्या महाविद्यालय स्व–वित्तपोषित है? : हां/नहीं

(ii) स्व–वित्तपोषित संकायों, यदि कोई हों, के नाम

घ. संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम

ड. महाविद्यालय की स्थापना की तारीख

च. धारा 2(च) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में महाविद्यालय को शामिल किए जाने की तारीख

छ. धारा 12(ख) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में महाविद्यालय को शामिल किए जाने की तारीख

ज. वर्तमान सत्र की 15 जुलाई को उस समय विद्यार्थियों की संख्या जब यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की सं.		अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की सं.		अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमी लेयर) के विद्यार्थियों की सं.		अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों की सं+		सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर.* और/या विकलांग विद्यार्थियों की सं.		सामान्य श्रेणी के ऐसे विद्यार्थियों की संख्या, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए नहीं हैं/विकलांग नहीं हैं		विद्यार्थियों की कुल संख्या	
महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष

***** आर्थिक रूप से पिछड़ी श्रेणी के संबंध में संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे के कार्डधारक

एच(क) महिला विद्यार्थियों के बारे में कुछ विवरण +

(i) चालू सत्र की 15 जुलाई को उस समय महिलाओं की संख्या जब यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया

(ii) मुसलमानों से भिन्न* अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं की संख्या

(iii) उपर्युक्त (i) में बताई गई महिलाओं की कुल संख्या के संदर्भ में उपर्युक्त (ii) की प्रतिशतता

(iv) मुसलमान समुदाय की महिलाओं की संख्या

(v) उपर्युक्त (i) में बताई गई महिलाओं की कुल संख्या के संदर्भ में उपर्युक्त (iv) की प्रतिशतता

*** कृपया इसाई, यहूदी सिक्ख, पारसी, जैन की विशिष्ट संख्या का उल्लेा करें।**

2. न्यास/समिति का नाम

3. विभिन्न कक्षाओं में नामांकन

नामांकन का वर्ष	पुरुष						महिला						विद्यार्थियों की कुल सं.
	स्नातक–पूर्व	स्नातकोत्तर	एम फिल	अन्य	प्रतिशत	कुल संख्या	स्नातक–पूर्व	स्नातकोत्तर	एम फिल	अन्य	प्रतिशत	कुल संख्या	

***** चालू सत्र, जब प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और उससे पहले के दो सत्र

4. ऐसे विद्यार्थियों की कुल संख्या, जिन्हें छात्रावास दिया गया था : पुरुष .....
महिलाएं .....

5. (क) ऐसे विद्याार्थियों की अतिरिक्त संख्या, जिन्हें प्रस्तावित छात्रावास में रखा जाएगा

(ख) क्या यह प्रस्ताव विद्यमान छात्रावास के विस्तार के लिए है या नए छात्रावास के लिए

(इस योजना के लिए स्वीकृत निधि का उपयोग ग्यारहवीं योजना की विकास योजना के अधीन अनुमोदित भवन के निर्माण के लिए नहीं किया जाएगा)

(ग) क्या संस्था ने पिछली योजना के दौरान विचारार्थ ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? कृपया इस आशय का प्रमाणपत्र, नीचे बताए गए अनुसार उस परियोजना की वर्तमान स्थिति और प्राप्त निधियों सहित प्रस्तुत किया जाए :

संख्या	योजना	प्राप्त निधियां	वर्तमान स्थिति
1.	IX		
2.	X		
3.	XI		

6. प्रस्तावित छात्रावास की आवश्यकता और औचित्य .....
(कृपया एक संक्षिप्त टिप्पणी संलग्न करें)

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर और मुहर

अनुबंध–II

महिला छात्रावास के निर्माण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड

क्रम सं.	मद	स्वीकार्य क्षेत्र (योजना में दिए गए विश्वविद्यालय दिए गए आयोग के मापदंडों के अनुसार)	प्रदान किया गया क्षेत्र
1.	लिविंग रूम	**(कृपया भरें)**	
	(क) सिंगल सीटर	8–9 वर्ग मीटर प्रति विद्यार्थी	
	(ख) डबल सीटर	7.5 से 8 वर्ग मीटर प्रति विद्यार्थी	
	(ग) थ्री सीटर	7 से 7.5 वर्ग मीटर प्रति विद्यार्थी	
	(घ) स्नातकोत्तर/शोध छात्रों/अध्यापकों/अन्य कर्मचारियों के लिए के लिए अधिक से अधिक 10 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति		
2.	कॉमन रूम, छात्रावास की संख्या के 25 प्रतिशत के संबंध में 2 वर्ग मीटर प्रति प्रयोक्ताकी दर से परंतु अधिकतम 60 वर्ग मीटर		
3.	डायनिंग रूम, छात्रावास की संख्या के 50 प्रतिशत के संबंध में 1 वर्ग मीटर प्रति प्रयोक्ता की दर से परंतु अधिकतम 40 वर्ग मीटर		
4.	किचन और पेंट्री, 0.5 वर्ग मीटर प्रति डिनर की दर से परंतु अधिकतम 60 वर्ग मीटर		
5.	शौचालय ब्लॉक		
	(i) वाटर क्लोसेट	8 महिलाओं के लिए 1 की दर से	
	(ii) बाथ रूम	6 महिलाओं के लिए 1 की दर से	
	(iii) यूरिनल	8 महिलाओं के लिए 1 की दर से	
	(iv) वाश बेसिन	8 से 10 विद्यार्थियों के लिए 1 की दर से	
6.	किचन सर्वेंट	डब्ल्यूसी और बाथरूम सहित 9.60 वर्ग मीटर का एक कमरा	
7.	अतिथि कक्ष	9.60 वर्ग मीटर का एक कमरा	
8.	परिचर्या कक्ष	9.60 वर्ग मीटर का एक कमरा	
9.	रीडिंग रूम	दो रीडिंग रूम	

(औसत न्यूनतम क्षेत्र 2.33 वर्ग मीटर प्रति रीडर की दर से होना चाहिए)

10. चाहरदीवारी — छात्रावास के चारों ओर, यदि आवश्यक हो

11. छत की ऊंचाई — 3.4. मीटर

12. प्लिंथ एरिया का कुल निर्मित क्षेत्र — कुल लिविंग एरिया क्षेत्र का 2.5 गुना (सर्कुलेशन स्तर प्लिंथ एरिया के 25 प्रतिशत की दर से हो सकता है)

13. वार्डन – 100 या उससे अधिक विद्यार्थियों के लिए एक वार्डन, जिसकी सहायता के लिए एक सह–वार्डन होगा। छात्रावास में एक वार्डन के लिए दो सिंगल रूम, विवाहित वार्डन के लिए अधिक से अधिक 115.32 वर्ग मीटर

उपर्युक्त मापदंड सुझावात्मक हैं और महाविद्यालय अपनी स्थानीय आवश्यकता के अनुसार इनमें संशोधन कर सकता है।

अनुबंध–III

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

भवन परियोजना के लिए अनुदान जारी करने संबंधी प्रगति रिपोर्ट

1. संस्था का नाम

2. इस योजना को अनुमोदित करने संबंधी विश्वविद्यालय के स्वीकृति पत्र की संख्या और तारीख

3. अनुमोदित कुल लागत

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का हिस्सा

(ख) संस्था/राज्य/केंद्र सरकार का हिस्सा

4. स्वीकृत कुल टेंडर लागत

5. निर्माण कार्य शुरू करने की तारीख

6. उपर्युक्त 3 के संबंध में प्राप्त कुल रकम

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हिस्से से

(ख) संस्था/राज्य/ केंद्रीय सरकार के हिस्से से

7. वास्तव में किया गया कुल खर्च अर्थात किए गए कार्य और प्राप्त आपूर्तियों के संबंध में प्रदत्त बिल

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हिस्से से

(ख) संस्था/राज्य/ केंद्रीय सरकार के हिस्से से

8. उपर्युक्त 3 के अनुसार प्राप्त रकम में से शेष रकम, यदि कोई हो

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हिस्से से

(ख) संस्था/राज्य/केंद्रीय सरकार के हिस्से से

9. जारी की जाने वाली अपेक्षित रकम उस व्यय को पूरा करने के लिए होगी जिसे अगले 3/6 माह में खर्च किए जाने की संभावना है।

10. यदि इस योजना के अधीन निर्माण कार्य किया जाना है तो अब तक पूरे किए गए निर्माण कार्य का संक्षिप्त विवरण दिया जाए और यह प्रमाणित किया जाए कि योजना को आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया है।

11. यदि कोई विचलन किया गया हो तो उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए। निर्माण की लागत पर इसके प्रभाव का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान काउपयोग उसी प्रयोग के लिए किया गया है जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया था और अनुदान के साथ संलग्न शर्तों के अनुसार किया गया था। यदि जांच या लेखापरीक्षा आपत्तियों के परिणामतः बाद में कोई अनियमितता ध्यान में आती है तो उस रकम को वापस करने, समायोजित करने या विनियिमित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

योग्यताप्राप्त इंजीनियर*/पंजीकृत
वास्तुविद् के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

यदि वास्तुविद् वास्तुकला परिषद् के पास पंजीकृत है तो उसके पंजीकरण संख्या और उसके पूरे पते का उल्लेख किया जाए।

* सरकारी विभाग/उपक्रम/स्वायत्त निकाय (जिला परिषद्/निगम आदि)/विश्वविद्यालय में नियोजित कम से कम सहायक इंजीनियर के स्तर का इंजीनियर।

विशेष टिप्पणी : इसमें ऐसी कोई रकम शामिल न की जाए, जो दिए गए आदेश या संभावित आदेश, ऐसी विशिष्ट मद के संबंध में दर्ज प्रतिबद्धता या चिन्हित रकम हो, जिसे भविष्य में प्राप्त किया जाएगा (खंड 7)।

अनुबंध–IV

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

आय और व्यय का विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने पत्र सं. ..... दिनांक ..... के जरिए अनुमोदित ..... (कार्य) के संबंध में आय और व्यय का लेखापरीखित विवरण

आय और व्यय

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान ..... रुपए	1. आकस्मिक व्यय सहित सिविल कार्य की लागत ..... रुपए
2. राज्य/केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान ..... रुपए	2. जल आपूर्ति और स्वच्छता संस्थापन ..... रुपए
3. संस्था का अंशदान ..... रुपए	3. विद्युतीकरण ..... रुपए
4. अन्य, यदि कोई हों ..... रुपए	4. बाह्य सेवाएं ..... रुपए
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान से अर्जित ब्याज ..... रुपए	5. वास्तुविद् का शुल्क ..... रुपए
	6. फर्नीचर यदि कोई हो ..... रुपए
	7. पीडब्ल्यूडी/सीपीडब्ल्यूडी के सत्यापन प्रभार, यदि कोई हों ..... रुपए
जोड़ ..... रुपए	**जोड़** ..... रुपए

प्रधानचार्य के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

सनदी लेखाकार/सरकारी लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

अनुबंध–V

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
उपयोगिता प्रमाणपत्र

(समापन संबंधी दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जाएगा)

प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने पत्र संख्या ..... दिनांक ... . के जरिए ..... के लिए ..... को स्वीकृत .... रुपए (..... रुपए) के अनुदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया था और इसका उपयोग विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया गया है।

यदि जांच या लेखापरीक्षा आपत्ति के परिणामतः किसी भी समय कोई अनियमितता ध्यान में आती है तो इस रकम की वापसी या उसके विनियमन के लिए कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानचार्य के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

सनदी लेखाकार/सरकारी लेखापरीक्षक के
हस्ताक्षर (मुहर सहित)

अनुबंध–VI

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
परिसंपत्ति संबंधी प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए अनुदान से पूर्णतः या मुख्यतः सृजित और अधिगृहीत स्थायी या अर्ध–स्थायी परिसंपत्तियों की माल–सूचियां निर्धारित फार्म में रखी जा रही हैं और उन्हें अद्यतन रखा जा रहा है।

प्रधानचार्य के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

सनदी लेखाकार/सरकारी लेखापरीक्षक के
हस्ताक्षर (मुहर सहित)

VII

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

समापन प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने पत्र सं. एफ ..... दिनांक .... के जरिए अनुमोदित ..... का निर्माण कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार ..... रुपए की लागत पर दिनांक ..... को पूरा कर लिया गया है। कार्यस्थल को उचित रूप से साफ कर दिया गया है।

प्रधानचार्य के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

सनदी लेखाकार/सरकारी लेखापरीक्षक के
हस्ताक्षर (मुहर सहित)

यदि वास्तुविद् वास्तुकला परिषद् के पास पंजीकृत है तो उसके पंजीकरण संख्या और उसके पूरे पते का उल्लेख किया जाए।

सरकारी विभाग/उपक्रम/स्वायत्त निकाय (जिला परिषद्/निगम आदि)/विश्वविद्यालय में नियोजित कम से कम सहायक इंजीनियर के स्तर का इंजीनियर।

अनुबंध–VIII

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

समापन लागत का प्रोफार्मा

संस्था का नाम .....

योजना .....

परियोजना का कुल निर्मित क्षेत्र .....

क्रम सं.	कार्य का प्रकार	अनुमान का मूल्य	स्वीकृत टेंडर का मूल्य	समापन लागत	अनुमानों/स्वीकृत टेंडर की तुलना में समापन लागत में वृद्धि या कमी का कारण
1.	सिविल कार्य (अनुमानों का मूल्य पीडब्ल्यूडी/ सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार होना चाहिए)				
2.	आंतरिक जल आपूर्ति और स्वच्छता				
3.	आंतरिक विद्युतीकरण				
4.	बाह्य सेवाएं				
5.	फर्नीचर				
(i)	अदा किया गया वास्तुविद् का शुल्क (जिसमें पर्यवेक्षण प्रभार भी शामिल हैं)				
(ii)	कृपया प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित समापन प्रमाणपत्र संलग्न करें				

	(नमूना संलग्न है– अनुबंध V)				
कुल समापन लागत					

प्रधानचार्य के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

सनदी लेखाकार/सरकारी लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

यदि वास्तुविद् वास्तुकला परिषद् के पास पंजीकृत है तो उसके पंजीकरण संख्या और उसके पूरे पते का उल्लेख किया जाए।

सरकारी विभाग/उपक्रम/स्वायत्त निकाय (जिला परिषद्/निगम आदि)/विश्वविद्यालय में नियोजित कम से कम सहायक इंजीनियर के स्तर का इंजीनियर।